गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की अति आवश्यक बैठक दिनांक 08.03.2019 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की अति आवश्यक बैठक दिनांक 08.03.2019 को दोपहर 01:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभाकक्ष में संपन्न हुई, बैठक के प्रारंभ में कुलसचिव जी ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदया की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1.	प्रो0 अंजिला गुप्ता	अध्यक्ष
2.	प्रो0 ए.के. सक्सेना	सदस्य
3.	प्रो0 व्ही.डी. रंगारी	सदस्य
4.	प्रो0 जी.के. पात्रा	सदस्य
5.	प्रो0 व्ही.एस. राठौर	सदस्य
6.	प्रो0 मनीष कुमार श्रीवास्तव	सदस्य
7.	प्रो0 मनीषा दुबे	सदस्य
8.	प्रो0 बी.एन. तिवारी	सदस्य
9.	प्रो0 पी.के. बाजपेयी	सदस्य
10.	प्रो0 एल.पी. पटैरिया	सदस्य
11.	प्रो0 एम.के. सिंह	सदस्य
12.	प्रो0 शैलेन्द्र कुमार, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नानुसार सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :–

01 प्रो0 ए.एस. रणदिवे

निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

विषय क्र. 01 विश्वविद्यालय के शैक्षणिक पदों हेतु निर्मित आरक्षण रोस्टर के अनुमोदन के संबंध में।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र क्रमांक F.No.38-11/2018-CU.V दिनांक 07.03.2019 के साथ संलग्नित **कानून और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "भारत का राजपत्र" संख्या–22 दिनांक 07 मार्च, 2019 में प्रकाशित केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थाओं (अध्यापक संवर्ग में आरक्षण) अध्यादेश, 2019, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "भारत का राजपत्र" संख्या–1013 दिनांक 07 मार्च, 2019 में प्रकाशित अधिसूचना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संयुक्त सचिव द्वारा जारी पत्र क्रमशः क्रमांक** No.F.1-5/2006(SCT) **दिनांक 07.03.2019** तथा No.F.1-5/2006(SCT) **दिनांक 08.03.2019** एवं विश्वविद्यालय रोस्टर समिति द्वारा विश्वविद्यालय के शैक्षणिक पदों हेतु अपनी बैठक दिनांक 07.03.2019 में किये गये अनुशंसाओं का अवलोकन किया गया।

विश्वविद्यालय के रोस्टर समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा के अवलोकन उपरान्त रोस्टर समिति द्वारा किये गये अनुशंसा में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया –

1. पूर्व रोस्टर के अनुक्रम में रोस्टर समिति द्वारा पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग में आचार्य पद हेतु 01 अजा का प्रावधान किया है परन्तु चूंकी पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग में आचार्य का 01 ही पद है अतः इसे अनारक्षित रखा जाना उचित होगा। अतः समिति अनुशंसा करती है कि पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग के आचार्य के अजा पद को भौतिकी विभाग के आचार्य के आनारक्षित पद से परस्पर बदला जाय।

2. पूर्व रोस्टर के अनुक्रम में रोस्टर समिति द्वारा आंग्ल एवं विदेशी भाषा विभाग में सह आचार्य पद हेतु 01 अजजा का प्रावधान किया है परन्तु चूंकि आंग्ल एवं विदेशी भाषा विभाग के अन्तर्गत उक्त पद को पूर्व कई बार विज्ञापित किया गया है तथा इसमें आवेदन प्राप्त नहीं हुए है विभाग में एवं शिक्षकों की आवश्यकता है अतः इसे अनारक्षित रखा जाना उचित होगा। अतः समिति अनुशंसा करती है कि आंग्ल एवं विदेशी भाषा विभाग के सह आचार्य के अजजा पद को केमिकल इंजीनियरिंग के विभाग के सह आचार्य के आनारक्षित पद से परस्पर बदला जाय।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति द्वारा उपरोक्तानुसार संशोधनों के साथ विश्वविद्यालय के शैक्षणिक पदों हेतु विश्वविद्यालय रोस्टर समिति द्वारा निर्मित आरक्षण रोस्टर का अनुमोदन किया गया।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र कमांक F.No.38-11/2018-CU.V दिनांक 07.03.2019 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को दिये गये निर्देश के परिपालन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रेषित पत्र कमांक No.F.1-5/2006(SCT) दिनांक 07.03.2019 में विश्वविद्यालय को अतिशीघ्र भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया गया है। उपरोक्त संदर्भित पत्रों के परिपेक्ष्य में विद्यापरिषद की स्थायी समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय रोस्टर समिति द्वारा वर्णित आरक्षण रोस्टर अनुसार रिक्त पदों पर भर्ती हेतु अतिशीघ्र प्रक्रिया प्रारम्भ करते हुए विज्ञापन जारी किया जाय।

उपस्थित सदस्यों एवं अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव **कुलपति/अध्यक्ष**